

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ GAD/0279/2026-GAD-9-01(GAD)

भोपाल दिनांक 17.04.2026

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय, भोपाल
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त संभागायुक्त
4. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय:- जनगणना-2027 के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:- गृह (सामान्य) विभाग का पत्र दिनांक 09.04.2026

----0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। गृह सचिव, भारत सरकार के निर्देशानुसार, जनगणना 2027 का पहला चरण मकान-सूचीकरण एवं मकानों की गणना अप्रैल-सितम्बर, 2026 के दौरान सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उनकी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार 30 दिनों की समय अवधि में पूर्ण किया जाना है तथा जनगणना का कार्य फरवरी, 2027 में पूर्ण किया जाना है।

2/ निर्देशानुसार अनुरोध है कि जनगणना कार्य में संलग्न जिला/तहसील स्तर के मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों को जनगणना कार्य पूर्ण होने तक, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, यथासंभव स्थानांतरित नहीं किया जाए।

3/ कृपया भारत सरकार, गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Sachindra Rao
Date: 27-04-2026
11:04:47

(सचिन्द्र राव)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक GAD/0279/2026-GAD-9-01(GAD)

भोपाल दिनांक 17.04.2026

प्रतिनिधि:-

1. गृह सचिव, भारत सरकार, कर्तव्य भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
3. सचिव, गृह (सामान्य) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल, म.प्र.।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

20

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
::मंत्रालय::

पं०
श्री प्रहलाद
13/04/2026

क्रमांक HOM/32/0007/2025-02-Gen(HOM)

दिनांक : 09-04-2022

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
2. अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
3. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
4. सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,

10 APR 2026
AS(SD)

विषय :- जनगणना-2027 के संबंध में आवश्यक निर्देश।

--00--

उपरोक्त विषय के संबंध में गृह सचिव, भारत सरकार से प्राप्त मुख्य सचिव को संबोधित पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार अनुरोध है कि पत्र में दिये गये निर्देशों के पालन में जनगणना कार्यों में संलग्न आपके विभाग के जिला/तहसील स्तर तक के मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों को जनगणना के कार्य पूर्ण होने तक, जब तक अपरिहार्य कारण न हों, तब तक यथासंभव स्थानांतरित न किया जावे।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(अभिषेक सिंह)

सचिव गृह एवं राज्य नोडल अधिकारी
जनगणना 2027

क्रमांक HOM/32/0007/2025-02-Gen(HOM)

दिनांक : 09-04-2026

प्रतिलिपि :-

भारत सरकार, गृह सचिव, कर्तव्य भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 09/12/2026-CD(Cen) दिनांक 11 मार्च 2026 के संदर्भ में सादर सूदनार्थ प्रेषित हैं।

सचिव गृह एवं राज्य नोडल अधिकारी
जनगणना 2027

10 APR 2026

US(SR)

1314
50-9

2955
क्रमांक...../अपुरा/सा.प्र.वि.
आ. रि. 10/04/26
जा. वि.

1917 अ.स/सा.प्र.वि/2025
दिनांक 10/04/2026



अर्द्धशासकीय पत्र सं. 9/12/2026-CD(Cen)

दिनांक: 11 मार्च, 2026

प्रिय मुख्य सचिव,

जैसा कि आप विदित हैं, जनगणना 2027 की तैयारियां अब जोरों पर हैं। इसे स्व-गणना के प्रावधान के साथ दो चरणों में डिजिटल माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। जनगणना का पहला चरण, मकान-सूचीकरण एवं मकानों की गणना अप्रैल-सितंबर, 2026 के दौरान सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार 30 दिनों की समय अवधि में किया जाएगा। दूसरा चरण - जनसंख्या गणना फरवरी, 2027 में (लद्दाख, और J&K, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड के बर्फ से ढके इलाकों में सितंबर, 2026 में) आयोजित किया जाएगा।

2. ज्यादातर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य, ज़िला, तहसील और गणना ब्लॉक स्तर तक के जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही आरम्भ हो चुकी है। इन जनगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण भी अलग-अलग राज्यों/UTs में प्रारंभ हो गया है। इन अधिकारियों को जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियमावली, 1990 के अंतर्गत वैधानिक कार्य करने होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि एक बार जनगणना कर्मियों के रूप में नियुक्ति लेने के बाद, उन्हें तब तक स्थानांतरित न किया जाए जब तक सम्पूर्ण जनगणना कार्य निष्पादित न हो जाए।

3. मैं आपको आभारी रहूंगा, यदि आप आवश्यक निर्देश जारी करने की व्यवस्था कर सकें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनगणना 2027 के लिए नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों का 31 मार्च, 2027 तक स्थानांतरण न हो। बहुत अच्छा रहेगा, यदि इस विषय पर जारी निर्देशों की एक प्रति भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित की जाए।

सादर,

आपका शुभाकांक्षी,

(गोविंद मोहन)

मुख्य सचिव (सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)